राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः— स.3—9 (44)स्था/अभि/13/ 1631-73 दिनांक 7-2-17

परिपत्र

निदेशालय के समक्ष सम्पूर्ण राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों से अग्रेषित होकर आने वाले पत्रों से सामान्यतः यह देखने में आया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चल/अचल सम्पत्ति क्रय की सूचना अपूर्ण रूप से निदेशालय को भिजवायी जाती है, जिससे पत्राचार में अनावश्यक समय नष्ट होता है ।

अतः समस्त उप / सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके अधीन कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा प्रेषित चल/अचल सम्पति का ब्यौरा राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेज जो संव्यवहार में क्रेता व विक्रेता के पारस्पारिक सम्बंध एंव आर्थिक संव्यवहार की प्रमाणिकता की पुष्टि करते हो, जैसे बैंक पासबुक की प्रति, पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति आदि को साथ संलग्नित करवा कर निदेशालय को अग्रेषित करें ताकि अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सके । इस बाबत अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियो/ कर्मचारियो को परिपत्र से अवगत करवाया जावे ।

परिपत्र की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावे ।

7/2 6/2/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :—समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राज. को सूचनार्थ एंव पालनर्थ ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर